भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 208

जिसका उत्तर 02 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

अधिशेष घरेलू कोयला उत्पादन के कारण स्थापित किए गए कोयला एक्सचेंज

208. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ते घरेलू कोयला उत्पादन के कारण अधिशेष तापीय कोयले के प्रतिस्पर्धी व्यापार को सक्षम बनाने के लिए कोयला एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) उक्त एक्सचेंज के उद्देश्यों, संरचना और संचालन की समय सीमा और पंजीकरण मानदंड क्या हैं;

(ग) व्यापार के लिए उपलब्ध वार्षिक अधिशेष कोयले की अनुमानित मात्रा कितनी है और किन क्षेत्रों को इसमें व्यापार में भाग लेने की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को नियामक के रूप में नियुक्त किया गया है और इसकी अधीक्षण शक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयला व्यापार में मूल्य पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और बाजार संबंधी हेरफेर को रोकने के लिए कौन-से उपाय प्रस्तावित किए गए हैं?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : जी हां। कोयला मंत्रालय खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 के विधायी उपबंधों के अनुसरण में देश में कोल एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की स्थापना करने की प्रक्रिया में है।

(ख) : खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2025 की धारा 18ख केंद्र सरकार को कोयला एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के उद्देश्य के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उपबंधों के अनुसरण में, कोयला मंत्रालय कोयला विनिमय नियम तैयार करने की प्रक्रिया में है, जो देश में स्थापित किए जाने वाले कोयला एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के उद्देश्यों और संरचना के लिए उनके पंजीकरण मानदंड सहित प्रावधान उपलब्ध कराएंगे।

(ग) : कोयला आपूर्तिकर्ताओं और कोयला खरीदारों के लिए कोयला एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में भागीदारी स्वैच्छिक प्रकृति की होगी और व्यापार किए गए कोयले की मात्रा बाजार की गतिशीलता पर निर्भर करेगी।

(घ) और (ङ) : जी, हां। खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 18 ख की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) को कोल एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को पंजीकृत और विनियमित करने के लिए प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। कोयला एक्सचेंज नियम तैयार किए जा रहे हैं, जो प्राधिकरण की निगरानी शक्तियों और कोयला व्यापार में मूल्य पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और बाजार में हेरफेर की रोकथाम को सुनिश्चित करने के उपायों का प्रावधान करेंगे।

****